अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि अपील वाद संख्या-393/2012

विरेन्द्र गुप्ता एवं अन्य ..... अपीलार्थीगण

बनाम

मसो0 इन्दु देवी एवं अन्य .....रेस्पोण्डेन्ट्स

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2012 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्या 128/2012 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

प्रस्तुत अपील वाद अंतर्गत मौजा-जलुआर का खाता संख्या 25, खेसरा संख्या 1198 रकवा 5डी0 भूमि विवादित प्रश्नगत भूमि है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि प्रतिपरीक्षण के द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद में माननीय वाद में माननीय उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, मधेपुरा के न्यायालय में दाखिल किया गया। प्रतिवादी का संक्षेप में वाद यह है कि खाता संख्या 25, खेसरा 1198 रकवा 5डी0 भूमि कुंज बिहारी गुप्ता एवं मुकुन्द गुप्ता एवं रामेश्वर गुप्ता पिता स्व0 तुलसी गुप्ता मौजा-जलुआर, थाना गम्हरिया, जिला मधेपुरा के नाम से दर्ज है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करतें हैं कि प्रतिवादीगण का वाद यह है कि प्रतिपक्षीगण खाता संख्या 25 खेसरा 1198 रकवा 5डी0 पर घर बनाकर अपने परिवाद के साथ-साथ 30-35 वर्षो से रहते आ रहे हैं तथा प्रतिपक्षीगण को कोई बासडीह की भूमि नहीं है तथा प्रतिपक्षी प्रश्रय प्राप्त रैयत है तथा प्रतिपक्षी सं0 1 को प्रश्नगत भूमि का वासगीत पर्चा दिया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी जो निम्न न्यायालय में प्रतिवादी थे प्रश्नगत भूमि पर अक्टूबर, 2009-10 ई0 में घर बनाना शुरू किए तब विपक्षी ने एक पंचायत गाँव में बैठाया लेकिन पंचों की बात अपीलार्थी द्वारा नहीं तानी गई तब विपक्षी ने एक आवेदन अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर को दिनांक 08.12.2010 को दिए कि 5डी0 में 3डी0 भूमि पर अपीलार्थी ने घर बनाकर विपक्षी को बेदखल कर दिया है। उसके बाद अंचल अधिकारी द्वारा अंचल अमीन को भूमि की मापी करने का आदेश दिया गया वो अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन में प्रश्नगत भूमि का 3डी0 अपीलार्थी के दखल में होना बतलाया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थीगण

उक्त वाद में हाजिर होकर अपना लिखित जवाब दाखिल किए। उक्त दाखिल लिखित जवाब में यह कथन किया गया कि रेस्पोण्डेन्ट का प्रश्नगत भूमि पर दावा बिल्कुल ही गलत है। रेस्पोण्डेन्ट प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति नहीं होना भी बतलाया गया। रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 इन्दू देवी का ससुराल ग्राम तरसुआ बड़गाँव थाना किशनपुर रतवारा जिला मधेपुरा में जहाँ इन्दू देवी को लगभग 5 बीघा से उपर भूमि है वहाँ उन्हें बासडीह की भूमि है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि इन्दू देवी का पैत्रिक निवास मौजा जलुआर थाना गम्हरिया जिला मधेपुरा है। उनके पिता का नाम सुवधर सिंह के मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर उनका लड़का एवं लड़की विपक्षी हकदार वो दखलकार हैं। सुवधर सिंह को करीब 5 एकड़ भूमि है। सुवधर सिंह के मृत्यु के वाद उक्त भूमि नया खाता संख्या 4 नया खेसरा संख्या 1199 में था जिसपर उनका घर था तथा सुवधर सिंह के मृत्यु के बाद उसपर उनका लड़का तथा लड़की इन्दु देवी का घर-दरवाजा होना बतलाते हैं। सुवधर सिंह ने खेसरा संख्या 1200 जो खेसरा संख्या 1199 को बगल में है खरीद कर उसपर अपना बासडीह बनाया। जिसपर अभी विपक्षी रहती है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट द्वारा अपीलार्थी के बासगीत भूमि जो खेसरा संख्या 1199 एवं 1200 के बगल में खेसरा संख्या 1198 में है उसके निश्वत् अंचलाधिकारी को अपने मेल एवं प्रभाव में लाकर बिना जानकारी अपीलार्थी के बासगीत पर्चा बनवा लिया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करतें हैं कि रेस्पोण्डेन्ट इन्दु देवी ने माननीय सबजज, मधेपुरा के न्यायालय में मुकदमा संख्या 4/92 अपने पति के संपत्ति के बंटवारे के लिए दाखिल किया था जिसमें 10 बीघा भूमि में आधा हिस्सा का माँग किया था। उसी प्रकार विपक्षी ने परिवादी संख्या 857 सन् 2003 ई0 व अदालत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय, मधेपुरा में दाखिल किया जिसमें उसने लाल बहादुर सिंह पर आरोप लगाया कि उनके दरवाजा पर 20 मन धान को उनके द्वारा लूट लेना बतलाया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी के नाना स्व0 कुंज बिहारी गुप्ता थे, जिनको कोई लड़का नहीं था। सिर्फ उन्हें 7 लड़की थी। अपीलार्थी के नाना का घर खेसरा संख्या 1198 रकवा 5डी0 पर था तथा अपीलार्थी अपने नाना के साथ उसी घर में रहता था। उक्त भूमि पर अपीलार्थी को दो घर एवं एक कटहल का वृक्ष है। जिसमें एक घर दीवाल, ईंटा आधा तथा आधा बाँस के टटी पर उपर छत टीन का चदरा का है तथा दूसरा घर ईंट के दीवाल पर उपर-उपर फुस का छप्पर दिया हुआ है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि अपीलाथी ने विपक्षी का बासगीत पर्चा को नाजायज करार देने के लिए न्यायालय समाहर्त्ता, मधेपुरा के न्यायालय में बासगीत पर्चा केन्सिलेशन वाद संख्या 13/2012 ई0 दाखिल किया है, जो वाद अभी भी लंबित है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि भू-मालिक विज्ञ अंचलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर बासगीत पर्चा का विरोध किए। उसके बाद अंचलाधिकारी द्वारा भूमालिक को सुनवाई करने एवं हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक एवं अचंल अमीन द्वारा दाखिल प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरांत रेस्पोण्डेन्ट संख्या-01 इन्दू देवी के दावे को सही मानते हुए Bihar Priviledged Person Homestead Tenancy Act के तहत अंदर बासगीत पर्चा वाद संख्या 4/2007-08 में

अपने आदेश दिनांक 08.04.2008 द्वारा रिंभिजनल सर्वे खेसरा संख्या 1198 एवं खाता संख्या 25 में से 5डी0 भूमि का बासगीत पर्चा इन्दु देवी के ही नाम से ही रहने का आदेश पारित किया गया। तदोपरांत फार्म "जी0" भी रेस्पोण्डेन्ट के पक्ष में ही निर्गत किया गया बाद में 5डी0 भूमि के निश्वत जमाबंदी संख्या 83 कायम हुआ जिसके आधार पर रेस्पोण्डेन्ट रेन्ट बिल अदाय कर रेंट बिल रसीद प्राप्त करती चली आयी। रेस्पोण्डेन्ट प्रश्नगत जमीन पर 30-38 वर्षो से रहते आ रहे हैं तथा इसके आलावा उन्हें वहाँ से हटाना चाहते हैं। इस प्रकार पूर्व से नापी हुई जिसमें बासगीत पर्चा से प्राप्त जमीन के उत्तर पूर्व से विपक्षी जबरदस्ती कब्जा किए हुए पाया गया बतलाते हैं।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से ये स्पष्ट है कि प्रतिवादी मसो0 इन्दू देवी को प्रश्रय प्राप्त रैयत होने के कारण Bihar Priviledge Person Homesteal Tenancy Act के तहत पर्या निर्गत किया गया है, यद्यपि अपीलार्थी इसके विरुद्ध समाहर्त्ता मधेपुरा के न्यायालय से 13/2012 दाखिल किया है जो लंबित है उल्लेखनीय है समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा उस वासगीत पर्चा को न तो रद्द किया और न ही निर्गत बासगीत पर्चा स्थगित किया गया है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत पारित आदेश विधि सम्मत् है। अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है एवं समाहर्त्ता, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि बी0पी0पी0एच0टी0 पुनरीक्षण वाद संख्या 13/2012 का त्वरित निष्पादन कर पुनरीक्षण वाद का निस्पादन करें ताकि वासगीत पर्चा से संबंधित भूमि विवाद का समाधान को सके। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा